कुलवंत सिंह और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

(दाण्डिक अपील नम्बर 1548/2007)

2 अप्रैल, 2013

(ए.के. पटनायक एवं मदन बी लोकुर जे.जे.)

दण्ड संहिता 1860- धारा 304 बी एवं 498 क- विवाहिता की विवाह से 7 माह के भीतर ससुराल में संदिग्ध परिस्थतियों में मृत्यु- वह एल्युमिनियम फॉस्फाईड जहर से मरी- पति एवं सास-ससुर की धारा 304 बी व 498 क में दोषसिद्धी- सही- अभिनिर्धारित तथ्यों पर सही- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं- पत्रावली पर साक्ष्य साफ करता है कि मृतका दहेज के लिए ना केवल पति (अपीलार्थी नम्बर 1) द्वारा बल्कि सास-ससुर (अपीलार्थी नम्बर 2 व 3) द्वारा भी प्रताडित की गयी- मृतका दहेज के लिए मृत्यु से ठीक पूर्व तक प्रताडित की गयी- इस मामले में सुरक्षित रूप से दहेज मृत्यु की उपधारणा की जा सकती है- साक्ष्य अधिनियम 1872- धारा 113 बी।

दण्ड संहिता 1860- धारा 304 बी- विवाहिता की विवाह से 7 माह के भीतर ससुराल में संदिग्ध परिस्थतियों में मृत्यु- पति (अपीलार्थी नम्बर 1) व सास-ससुर (अपीलार्थी नम्बर 2 व 3) धारा 304 बी भा.दं.सं. में दोषसिद्ध एवं 7 साल के कठोर कारावास से दण्डित- अपीलार्थी नम्बर 2 और 3 द्वारा उनकी वृद्धावस्था एवं शारीरिक असक्षमता के आधार पर दण्ड में नरमी की याचिका- अभिनिर्धारितः खारिज- धारा 304 ख भा.दं.सं. के अपराध में विधि न्यूनतम 7 साल के कारावास का प्रावधान करती है-

किसी भी कारण से दण्ड कम करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही विधि में इसका कोई अपवाद बनाया गया है- हालांकि अपीलार्थी नम्बर 2 और 3 वृद्ध हैं लेकिन वो अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी की एल्यूमिनियम फॉसफाईड जहर से मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे- दण्ड

साक्ष्य अधिनियम 1872- धारा 113 बी- दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा- कब सुरक्षित रूप से की जा सकती है- चर्चा की गयी- दण्ड सहिता 1860 धारा 304 बी।

एक विवाहित महिला संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ससुराल में एल्यूमिनियम फॉसफाईड जहर से मरी मृत्यु विवाह से 7 वर्ष में हुई। मृतका, उसके पति अपीलार्थी नम्बर 1 एवं सास-ससुर अपीलार्थी नम्बर 2 और 3 द्वारा कम दहेज लेने के कारण प्रताडित और तंग की गयी। पी.डब्ल्यू 05 मृतका के पिता है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 304 बी और धारा 498 क भा.दं.सं. के लिए दोषसिद्ध किये गये।

इस अपील में अपीलार्थीयों द्वारा धारा 304 बी व धारा 498 क भा.दं.सं. के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने तीन निवेदन किये- प्रथम- पी.डब्ल्यू 05 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी की गयी; द्वितीय- पी.डब्ल्यू 05 व अन्य अभियोजन गवाहान द्वारा अपने मामले में काफी सुधार किया गया क्योंकि एफ.आई.आर. और अनुसंधान के दौरान धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग का कोई कथन नहीं है विशेषकर भैंस एवं 6,000/- रूपये की मांग एवं देने पर; एवं तृतीय धारा 304 बी भा.दं.सं. के तत्व पूरे नहीं होते क्योंकि दहेज की मांग की मृत्यु से निकटता नहीं थी।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई देरी नहीं हुई। तथ्य दिखाते है कि पी.डब्ल्यू-05 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रयास किये थे लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि संबंधित पुलिस थाने द्वारा रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। किसी भी परिस्थिति में यह सहायक उपनिरीक्षक (पी.डब्ल्यू 12) के साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू 05 ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जो थाने के थानाधिकारी उपनिरीक्षक (पी.डब्ल्यू 13) द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 1989 को उसे अंकित किया गया। पी.डब्ल्यू 13 ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पी.डब्ल्यू 05 द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था और इस पर उसने 2 नवम्बर 1988 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी हुई। (पैरा 28)(615 सी-ई)

गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 11 स्केल 224 एवं जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एस.सी.सी. 204: 2012 (4) एससीआर 408- पर विश्वास किया।

2.1 यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पी.डब्ल्यू 05 ने अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बताया है लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थीयों द्वारा और अधिक दहेज की मांग की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन के अलावा दोनों न्यायालयों ने कई अभियोजन साक्षियों की अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में ठोस साक्ष्य पर विचार किया है और एक स्वर में/समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थीयों ने दहेज की मांग की थी। इस तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 30] [615-एच; 616-ए-बी]।

2.2 इसके अलावा भी अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है कि अपीलार्थीयों ने पी.डब्ल्यू 05 से भैंस की मांग की थी और इस मांग को मान भी लिया गया था। पर्याप्त साक्ष्य है कि अपीलार्थीयों ने पी.डब्ल्यू 05 से 6,000/- रूपये मांगे थे और पी.डब्ल्यू 11 से अपीलार्थीयों को राशि देकर यह मांग भी मान ली गयी थी। [पैरा 31] [616-सी-डी]

3. अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट इंगित करता है कि अपीलार्थी नम्बर 1 एवं उसके माता-पिता द्वारा दहेज की मांग के संबंध में मृतका को प्रताडित/तंग किया गया था। वास्तव में दिनांक 13 सितम्बर, 1988 को अपीलार्थी नम्बर 1 के घर जाने वाले पंचायत सदस्यों और 8 अक्टुबर, 1988 को अपीलार्थी नम्बर 1 के घर जाने वाले पी.डब्ल्यू 09 के कथनानुसार तंग करना चालू रहा। इसलिए मृतका उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व तक दहेज की मांग के संबंध में प्रताडित/तंग की गयी। [पैरा 33] [617-ए-बी]

4. चार परिस्थितियों में दहेज मृत्यु की उपधारणा की जा सकती है जैसेः (1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने महिला की दहेज मृत्यु कारित की है (इसका तात्पर्य है कि यह उपधारणा तभी लागू हो सकती है जब अभियुक्त का धारा 304 ख भा.दं.सं. के अपराध हेतु विचारण किया जा रहा हो); (2) वह महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना की गयी हो; (3) ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में होनी चाहिए; (4) ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व होनी चाहिए। ये सभी तत्व इस प्रकरण में विद्यमान है और दहेज मृत्यु की उपधारणा सुरक्षित रूप से की जा सकती है। (पैरा 35) (617-एफ-एच; 618-ए-बी)

तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य (2008) 16 एससीसी 155: 2008 (17) एससीआर 379 पर विश्वास किया।

अप्पा साहेब एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 9 एससीसी 721ः 2007 (1) एससीआर 164; एवं विपिन जैसवाल बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य 2013 (3) स्केल 525- अभिनिर्धारित हुआ कि लागू नहीं होते।

बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (2011) 4 एससीसी 427: 2011 (2) एससीआर 627- संदर्भ दिया गया।

5.1 जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतका उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में तंग की गयी और वह एल्यूमिनियम फॉसफाईड जहरखुरानी से असामान्य परिस्थितियों में मरी। अपीलार्थीयों को धारा 304 बी व 498 क भा.दं.सं. में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से निकाले गये निष्कर्ष में छेड़छाड़ का कोई कारण नहीं है। (पैरा 38) (618-एच; 619-ए-बी)

5.2 विधि धारा 304 बी भा.दं.सं. के अपराध के लिए न्यूनतम 7 साल तक कारावास का प्रावधान करती है। किसी भी कारण से दण्ड में कमी का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही विधि में इसका कोई अपवाद बनाया गया है। हालांकि अपीलार्थी नम्बर 2 व 3 अब वृद्ध है लेकिन वह अपीलार्थी नम्बर 1 की पत्नी की एल्यूमिनियम फॉसफाईड जहर से मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। मरते वक्त मृतका एक युवा महिला थी और कोई भी उसकी अप्राकृतिक मृत्यु के कारण उसके माता-पिता के दुःख/सदमे की केवल कल्पना ही कर सकता है। अभियुक्त व्यक्ति या दोषी के साथ सहानुभूति मात्र, हमें पीड़ित या पीड़ित के निकट परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए समर्थ नहीं बनाता। (पैरा 40, 41) (619-डी-एफ)

निर्णय विधि संदर्भः

(2012) 11 स्केल 224	विश्वास किया	पैरा संख्या 29
2012 (4) एस.सी.आर.408	विश्वास किया	पैरा संख्या 29
2008 (17) एस.सी.आर.379	विश्वास किया	पैरा संख्या 35
2007 (1) एस.सी.आर.164	अभिनिर्धारित नहीं	पैरा संख्या 36
2011 (2) एस.सी.आर.627	संदर्भित किया	पैरा संख्या 36
2013 (3) स्केल 525	अभिनिर्धारित नहीं	पैरा संख्या 37

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः दाण्डिक अपील संख्या 1548/2007।

उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा राज्य के चण्डीगढ़ में 1993 की दाण्डिक अपील संख्या 356-एस.बी. में पारित किये गये निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.05.2007 से।

नगेन्द्र राय, ऋषि मल्होत्रा, गोपीरमन अपीलार्थीयों की तरफ से।

वी. मधुकर, अतिरिक्त एटॉर्नी जनरल, परितोष अनिल, अनवीता कौशिश, सृजिता माथुर, कुलदीप सिंह प्रत्यर्थियों की तरफ से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति श्री मदन लोकुर द्वारा दिया गया।

1. हमारे सामने प्रश्न है कि क्या कुलवंत सिंह (अपीलार्थी नम्बर 1), उसके पिता गुरटहल सिंह (अपीलार्थी संख्या 2) और उसकी माता हरमिन्दर कौर (अपीलार्थी संख्या 3) की धारा 304 बी और धारा 498 क भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धी बरकरार रखी जावे? हमारी राय में उनकी दोषसिद्धी बरकरार रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है।

तथ्यः

2. रछपाल कौर (मृतका) ने 18 नवम्बर, 1984 को कुलवंत सिंह से शादी की। अभिलेख से प्रकट होता है कि हालांकि वह पर्याप्त दहेज लायी थी लेकिन उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अपर्याप्त दहेज लाने के कारण तंग एवं प्रताडित किया गया। दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना चलती रहने के कारण 13 सितम्बर, 1988 को या लगभग समय पर पंचायत को समस्या के हल के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि जोड़ा सामान्य वैवाहिक जीवन जी सके। दुर्भाग्य से पंचायत के प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया और एक महीने बाद 14 अक्टुबर, 1988 को रछपाल कौर संदिग्ध परिस्थितियों में मर गयी।

3. अभिलेख दिखाता है कि रछपाल कौर को उसके शरीर पर मृत्युजनित कठोरता/अकड़न (रिगर मोर्टिस) आने के बाद मण्डी गोविंदगढ़ के सिविल अस्पताल में ले जाया गया और उसके मुंह एवं नाक से झाग आ रहे थे। अपीलार्थीयों ने कार्यपालक डी.सी. के समक्ष लाश को बिना पोस्टमार्टम ही लेने बाबत प्रार्थना पत्र भी दिया था लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया। 15 अक्टुबर, 1988 को पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया जिससे प्रकट हुआ कि रछपाल कौर के 26 सप्ताह का भ्रुण था। उसके शरीर के कुछ भाग हटाकर/लेकर सीलबंद किये गये और पंजाब राज्य के रासायनिक परीक्षक, पटियाला के पास रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गये। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट काफी देरी से आयी जिससे मृतका के पेट में एल्युमिनियम फॉसफाईड (कीटनाशक) पाया गया और उसके यकृत (लीवर), तिल्ली, दाये वृक्क और दाये फैफड़े में फॉसफाईन, एल्युमिनियम फॉसफाईन का घटक भी पाया गया। डॉक्टर आशा किरण चिकित्साधिकारी सिविल अस्पताल मण्डी गोविंदगढ़ पी.डब्ल्यू 01 के अनुसार यह तत्व रछपाल कौर की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे।

4. उसकी छोटी बहिन अवतार कौर पी.डब्ल्यू 09 ने 15 अक्टुबर, 1988 को रछपाल कौर की मृत्यु के बारे में उसके पिता सुखदेव सिंह पी.डब्ल्यू 05 को सूचना दी जिस पर सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचे और उसकी लाश पर दावा किया और तत्पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया।

5. सुखदेव सिंह रछपाल कौर की संदिग्ध मृत्यु के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे लेकिन नहीं करवा पाए। पुलिस अधिकारियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। हालांकि सुखदेव सिंह ने संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया जो सहायक उपनिरीक्षक करनेल सिंह पी.डब्ल्यू 12 को दिनांक 18 अक्टुबर, 1988 को आवश्यक कार्यवाही के लिए अंकित किया गया।

6. फिर रछपाल कौर की मृत्यु का कारण अभिनिश्चित होने के पश्चात एफआईआर संख्या 67/1988 दिनांक 2 नवम्बर 1988 दर्ज की गयी और पुलिस द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया।

7. मोटे तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया गया कि रछपाल कौर की कुलवंत सिंह के साथ शादी के वक्त अपीलार्थीयों को पर्याप्त दहेज दिया गया था। हालांकि शादी के कुछ दिन बाद उसके साथ अपर्याप्त दहेज लाने के कारण दुर्व्यवहार किया गया, क्रूरता बरती गयी और उसे कई बार पीटा गया। रिपोर्ट में आगे कथन किया गया है कि कुलवंत सिंह के घर पर पंचायत भी गयी थी लेकिन उसने और मृतका के अन्य ससुराल वालों ने पंचायत वालों को कहा कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक वे रछपाल कौर के साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुखदेव सिंह ने कथन किया है कि 15 अक्टुबर, 1988 को उन्हें उनकी बेटी अवतार कौर से पता चला कि रछपाल कौर की संदिग्ध

परिस्थितियों में हत्या हो गयी है। सुखदेव सिंह यह सुनकर हैरान हो गये और उन्होंने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी लेकिन उन्होंने कार्यवाही करने से मना कर दिया क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी थी। सुखदेव सिंह के अनुसार अपीलार्थी एवं रछपाल कौर के अन्य ससुराल वालों ने रछपाल कौर की मृत्यु कारित करके धारा 304 बी और धारा 498 क भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध किया है।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एवं रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय पुलिस ने अनुसंधान किया और अपीलार्थीयों के अलावा कुलवंत सिंह के भाईयों गुरचरण सिंह एवं सुखवंत सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया तब पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सेशन प्रकरण संख्या 35 टी दिनांकित 05.05.1989 दर्ज किया।

10. आरोप विरचना पश्चात सभी अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक नहीं किया और विचारण का दावा किया।

11. अभियोजन ने अभियुक्तों द्वारा जहर देकर रछपाल कौर को मारने का अपना मामला साबित करने के लिए कई गवाहों को पेश किया। प्रतिरक्षा में भी गवाह पेश किये गये।

विचारण न्यायालय का निर्णयः

12. विचारण न्यायालय ने 17 सितम्बर, 1993 के निर्णय एवं आदेश द्वारा अपीलार्थी कुलवंत सिंह, गुरटहल सिंह, हरमिन्दर कौर को धारा 304 बी भा.दं.सं. के अपराध के लिए दोषी माना। तब उन्हें 7 साल के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। उन्हें धारा 498 क भा.दं.सं. के लिए भी दोषसिद्ध किया गया और 1 साल के कठोर

कारावास एवं 500/- रूपये के जुर्माने का दण्ड दिया गया। यह दण्ड एक साथ भुगतने थे।

13. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सुखदेव सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई देरी नहीं हुई। तथ्यतः रछपाल कौर के अंतिम संस्कार के ठीक पश्चात वह अमलोह के संबंधित थाने में गया और दृश्यतः संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पुत्री के मरने की रिपोर्ट दी। हालांकि प्रकरण दर्ज नहीं हुआ क्योंकि रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। सुखदेव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने प्रार्थना पत्र दिया और यहां तक कि पटियाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी पेश हुआ और तब जाकर दिनांक 02 नवम्बर, 1988 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सुखदेव सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं की गयी।

14. दहेज की मांग, रछपाल कौर के साथ दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना के बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने सुखदेव सिंह (पी.डब्ल्यू 05), उसकी पुत्री अवतार कौर (पी.डल्यू 09), उसके पुत्र जसवीर सिंह (पी.डल्यू 11) एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से कुलवंत सिंह और रछपाल कौर के बीच विवादों के समाधान के लिए कुलवंत सिंह के घर जाने वाले पंचायत सदस्य सोहन सिंह (पी.डल्यू 07), दर्शन सिंह (पी.डल्यू 08) की साक्ष्य पर विश्वास किया। पंचायत सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया (और इस पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास भी किया गया) कि 13 सितम्बर, 1988 को जब वे रछपाल कौर से मिले तब वह रो रही थी और उन्हें कहा कि अपीलार्थीयों ने उससे और दहेज की मांग की। उसने कहा कि अपीलार्थीयों को विवाह के वक्त दिये गये दहेज के अलावा भैंस और 6,000/- रूपये नकद भी दिये गये थे और फिर भी वह शिकायत करते रहे कि दहेज अपर्याप्त है।

15. अवतार कौर (पी.डब्ल्यू 09) दिनांक 08 अक्टुबर, 1988 को रछपाल कौर से मिली तो मृतका ने उसे कहा कि उसका पति और उसके परिवार के सदस्य उसे दहेज के संबंध में तंग करते है। अपीलार्थीयों ने उसके साथ मारपीट की और वह चाहती थी कि उसे उसके ससुराल के घर से दूर ले जावे।

16. जसबीर कौर (पी.डब्ल्यू 11) के कथन की अपीलार्थीयों को उनकी मांग पर 6,000/- रूपये देने के लिए उसने 6,000/- रूपये उधार लिये है पर विचारण न्यायालय ने विश्वास किया। यह तर्क दिया गया कि सुखदेव सिंह के पास पर्याप्त जमीन थी इसलिए उसके बेटे को अपीलार्थीयों को देने के लिए वचन पत्र पर 6,000/- रूपये उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विचारण न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और पाया कि चूंकि सुखदेव सिंह का परिवार बड़ा था इसलिए यह अप्राकृतिक नहीं था कि उसके पुत्र ने कुछ रूपये अपीलार्थीयों को देने के लिए उधार लिये।

17. विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि रछपाल कौर एल्यूमिनियम फॉसफाईड जहरखुरानी से मरी और धारा 304 बी भा.दं.सं. बनती है और साथ ही धारा 498 क भा.दं.सं. के तत्व भी बनते है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि रछपाल कौर की मृत्यु आत्महत्या का मामला नहीं था।

18. उपरोक्त अनुसार विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीयों को आरोपित अपराध के लिए दोषी मानने का निष्कर्ष निकाला। यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में नाकाम रहा कि सुखवंत सिंह और गुरूवचन सिंह ने अपराध किया इस आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना गया जबकि अपीलार्थीयों को ऊपर बताये अनुसार दण्ड दिया गया।

उच्च न्यायालय का निर्णयः

19. विचारण न्यायालय के दण्ड देने के निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीयों ने अपील संख्या 356 एस.बी. 1993 की जो सुनकर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 02 मई, 2007 के द्वारा खारिज कर दी।

20. उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से अभिलेख पर साक्ष्य का परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किया है कि अपीलार्थीयों ने दहेज की मांग की खातिर रछपाल कौर के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी ससुराल में असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उच्च न्यायालय ने साक्षियों पर विश्वास किया जिन्होंने सतत रूप से अपीलार्थीयों द्वारा रछपाल कौर के अपर्याप्त दहेज लाने के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार, प्रताड़ना एवं तंग करने की अभियोजन कहानी का समर्थन किया।

21. उच्च न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कहानी पर विश्वास किया कि रछपाल कौर द्वारा विवाह के वक्त लाए गए दहेज के अलावा भी सुखदेव सिंह (पी.डब्ल्यू-05) और जसबीर सिंह (पी.डब्ल्यू-11) के द्वारा अपीलार्थीयों को भैंस और 6,000/- रूपये दिये गये थे।

22. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीयों के इस तर्क पर विचार करके उसे खारिज किया कि दहेज की मांग विचारोपरांत कही गयी है क्योंकि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रछपाल कौर द्वारा पंचायत के सदस्यों एवं उसके निकट परिवारजन को दहेज की मांग के बारे में कहना अंकित है। हालांकि दहेज की मांग विशिष्ठ नहीं थी लेकिन निःसंदेह अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग की गयी जो रछपाल कौर के परिवार द्वारा पूरी की गयी।

23. उच्च न्यायालय ने पाया कि रछपाल कौर की मृत्यु एल्युमिनियम फॉसफाईड जहरखुरानी से हुई और अभिलेख पर अपीलार्थीयों को आरोपित अपराधों में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था तद्नुसार अपीलार्थीयों द्वारा प्रस्तुत अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गयी।

24. इन परिस्थितियों में यह अपील हमारे समक्ष पेश हुई है।

तर्क एवं विश्लेषणः

25. अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष 3 तर्क दिये। प्रथम तर्क दिया कि सुखदेव सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी की गयी थी क्योंकि घटना 14 अक्टुबर, 1988 की थी लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 नवम्बर, 1988 को करायी गयी; द्वितीय सुखदेव सिंह एवं अन्य अभियोजन गवाहों द्वारा अपनी कहानी में काफी सुधार किया गया क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अनुसंधान के दौरान धारा 161 सीआरपीसी के अभिलिखित बयानों में अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग विशेषकर भैंस और 6,000/- रूपये मांगने और देने के बारे में कोई कथन नहीं है। दूसरे शब्दों में यह तर्क दिया गया कि अभियोजन गवाहों द्वारा पूर्णतः नई कहानी बनायी गयी है और इस कारण उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए; तृतीय धारा 304 बी भा.दं.सं. के तत्व नहीं बनते क्योंकि कथित दहेज की मांग रछपाल कौर की मृत्यु के ठीक पूर्व नहीं की गयी थी।

26. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये किसी भी तर्क को मानने में असमर्थ है।

27. जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का तर्क है हम विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई देरी

नहीं हुई। यह भी स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया।

28. फिर भी तथ्य स्पष्ट करते हैं कि सुखदेव सिंह (पी.डब्ल्यू 05) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पर्याप्त प्रयास किये थे लेकिन वह असमर्थ रहा क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट अभी तक संबंधित पुलिस थाने द्वारा प्राप्त नहीं की गयी थी। किसी भी प्रकार से सहायक उपनिरीक्षण करनेल सिंह (पी.डब्ल्यू-12) के साक्ष्य से स्पष्ट है कि सुखदेव सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जो उपनिरीक्षक बलवीर सिंह (पी.डब्ल्यू-13), थानाधिकारी पुलिस थाना अमलोह द्वारा उसे 18 अक्टुबर, 1989 को अंकित किया गया। उपनिरीक्षक बलवीर सिंह ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि सुखदेव सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटियाला को दिया गया प्रार्थना पत्र उसे प्राप्त हुआ था और तब उसने 02 नवम्बर, 1988 को दर्ज की थी इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी हुई।

29. हम यह भी उल्लेखन कर सकते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी के प्रश्न को इस न्यायालय द्वारा निपटाया जा चुका है और हमें प्रथम सूचना दर्ज करावाने की मानी गयी देरी को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कुछ समय पहले हमारे में से एक (न्यायाधिपति मदन बी लोकुर) के पास इस विषय के संबंध में गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 11 स्केल 224 के वक्त निपटाने का अवसर प्राप्त हुआ और उसमें निकाले गये निष्कर्षों की पुनरावर्ती आवश्यक नहीं है और ना ही जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एससीसी 204 में अभिनिर्धारित किये गये इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की आवश्यकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को फेंकने/खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

30. अपीलार्थीयों द्वारा दिया गया द्वितीय तर्क भी कोई गंभीर विषय के संबंध में गुणविहीन है। यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुखदेव सिंह, अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग किये जाने का कोई विशिष्ठ उदाहरण नहीं देता लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अपीलार्थीयों द्वारा और अधिक दहेज की मांग की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन के अलावा दोनों न्यायालयों ने कई अभियोजन गवाहों के ठोस साक्ष्य कि अपीलार्थीयों द्वारा दहेज की मांग की गयी थी इस पर विचार किया गया है और दोनों द्वारा समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थीयों ने मांग की थी। हम तथ्यों की इस खोज में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

31. इसके अलावा अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हेतु अपीलार्थीयों ने सुखदेव सिंह से भैंस की मांग की और यह मांग पूरी भी की गयी। यहां पर्याप्त साक्ष्य है कि अपीलार्थीयों ने सुखदेव सिंह से 6,000/- रूपये मांगे और यह मांग भी जसबीर सिंह (पी.डब्ल्यू 11) द्वारा यह राशि अपीलार्थीयों को देकर पूरी की गयी।

32. अपीलार्थीयों की तरफ से अंतिम तर्क को भी खारिज किये जाने की आवश्यकता है। धारा 304 बी भा.दं.सं. निम्न प्रकार हैः-

> "**304** ख दहेज मृत्यु-- (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वहीं अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।"

33. यह निर्विवाद है कि रछपाल कौर की उसकी शादी से सात वर्ष के भीतर असमान्य परिस्थितियों में मृत्यु एल्युमिनियम फॉसफाईड जहरखुरानी से हुई। अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट दिखाता है कि वह दहेज की मांग के संबंध में ना केवल कुलवंत सिंह द्वारा बल्कि उसके माता-पिता द्वारा भी तंग/प्रताड़ित की गयी। तथ्यतः कुलदीप सिंह के घर में 13 सितम्बर, 1988 को जाने वाले पंचायत सदस्यों और दिनांक 08 अक्टुबर 1988 को जाने वाली अवतार कौर (पी.डब्ल्यू 09) के कथनानुसार प्रताड़ना चालू रही। इसलिए रछपाल कौर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व तक दहेज के लिए तंग/प्रताड़ित की जाती रही।

34. हम धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी संदर्भ दे सकते हैं जो इस प्रकार हैः-

"**113**-ख दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा - जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''दहेज मृत्यु का वहीं अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-ख में है।''

35. दहेज मृत्यु की उपधारणा नीचे बतायी गयी चार परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जो तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य (2008) 16 एससीसी 155 में भी उल्लेखित हैः

''**(1)** न्यायालय के समक्ष प्रश्न होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने महिला की दहेज मृत्यु कारित की है (इसका तात्पर्य है कि यह उपधारणा तभी लागू हो सकती है जब अभियुक्त का धारा 304 ख भा.दं.सं. के अपराध हेतु विचारण किया जा रहा हो)।

(2) वह महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना की गयी हो।

(3) ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में होनी चाहिए।

(4) ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व होनी चाहिए।

ये सभी तत्व इस प्रकरण में विद्यमान है और दहेज मृत्यु की उपधारणा सुरक्षित रूप से की जा सकती है।

36. अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने अप्पासाहब एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 9 एससीसी 721 का हवाला दिया है। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण घरेलु खर्चे पूरे करने के लिए एवं खाद खरीदने के लिए, पत्नी को धन लाने के लिए कहना दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता। हम यह देखने

में असमर्थ है कि यह निर्णय इस मामले एवं संबंधित विवाद के संबंध में किसी प्रकार सुसंगत है। किसी भी स्थिति में अप्पासाहब में विहित निष्कर्षों को बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (2011) 4 एससीसी 427 में स्पष्ट किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित हुआ कि अप्पासाहब के निष्कर्षों को उस मामले के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। यह अभिनिर्धारित हुआ कि अप्पासाहब इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि यह निश्चायक रूप से विहित करता हो कि कोई व्यापार या वित्तीय आवश्यकता के कारण, धन या कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता हो।

37. अंत में विपिन जायसवाल बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 2013 (3) स्केल 525 का हवाला दिया गया जो भी वर्तमान मामले से सुसंगत नहीं है क्यांेकि उस मामले में प्रताड़ना या क्रूरता के तत्व नहीं पाये गये थे। विपिन जायसवाल की पत्नी ने आत्महत्या की थी और नोट छोड़कर गयी थी कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कोई नहीं है और उसके पिता व परिवार वालों ने उसके पति को तंग किया था और इस कारण वह अपने जीवन से ऊब गयी थी और लड़ाइयां हो रही थी।

38. जहां तक वर्तमान मामले का प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं है कि रछपाल कौर, उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में तंग की जा रही थी और वह असामान्य परिस्थितियों में एल्युमिनियम फॉसफाईड की जहरखुरानी से मरी थी। हमारी राय में अपीलार्थीयों को धारा 304 बी भा.दं.सं. और धारा 498 क भा.दं.सं. के अपराधों हेतु दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में हस्तक्षेप/छेड़छाड़ का कोई कारण नहीं पाते हैं।

39. अपीलार्थीयों की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि गुरटहल सिंह आज 80 साल का वृद्ध है और गंभीर मधुमेह के कारण उसकी टांगे काट

दी गयी है। यह भी निवेदन किया गया कि हरमिन्दर कौर लगभग 78 साल उम्र की है और उसे गुरटहल सिंह की देखभाल करनी होती है। इन परिस्थितियों में उनकी उम्र एवं शारीरिक असक्षमता को देखते हुए उनके संबंध में इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

40. हमने इस प्रार्थना पर भी काफी विचार किया है लेकिन हम देखते हैं कि धारा 304 बी भा.दं.सं. के अपराध हेतु विधि न्युनतम सात साल के कारावास का उपबंध करती है। किसी भी कारण से दण्ड को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही विधि में कोई अपवाद बनाया गया है। परिणामतः हम यह प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते।

41. हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हालांकि गुरटहल सिंह और हरमिन्दर कौर अब उम्र में है लेकिन वे रछपाल कौर की एल्युमिनियम फॉसफाईड जहरखुरानी दे मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। रछपाल कौर की जब मृत्यु हुई तब वह युवा महिला थी और कोई भी उसकी अप्राकृतिक मृत्यु के कारण उसके माता-पिता के दुःख/सदमे की केवल कल्पना ही कर सकता है। अभियुक्त व्यक्ति या दोषी के साथ सहानुभूति मात्र, हमें पीड़ित या पीड़ित के निकट परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए समर्थ नहीं बनाता।

निष्कर्षः

42. अपील में कोई गुण/बल नहीं है इसलिए यह तद्नुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।